



Neutral Citation No.- 2026:AHC:12801

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-15080 वर्ष 2025

शिवम

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: मनोज कुमार तिवारी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को पुनरीक्षित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री मनोज कुमार तिवारी और राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुनील कुमार की सहायता से श्री मनोज कुमार तिवारी और अपर महाधिवक्ता श्री संजीव सिंह को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
3. यह आवेदक की ओर से दायर की गई दूसरी जमानत याचिका है, जिसमें आईपीसी की धारा 302, 201 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 119/2014, पुलिस स्टेशन झंसी, जिला इलाहाबाद में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत मांगी गई है।



4. आवेदक की पहली ज़मानत याचिका को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12.04.2018 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था, जो 2015 के आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-33854 में पारित किया गया था।

5. आवेदक के अधिवक्ता ने कैद की अवधि को छोड़कर ज़मानत के लिए कोई नया आधार नहीं रखा है जो दस वर्ष से अधिक है क्योंकि वह 26.03.2014 से जेल में है। अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और यदि आवेदक को ज़मानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. तत्सम्य विपरीत, अपर शासकीय अधिवक्ता की सहायता से ए.ए.जी. ने ज़मानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया है।

7. इस न्यायालय ने मुकदमे की स्थिति के संबंध में एक रिपोर्ट मांगी थी और उसके अनुपालन में, संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा 02.12.2025 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार, फाइल को अंतिम बहस के लिए 10.12.2025 को तय किया गया था, इस प्रकार, मुकदमा अपने निर्णायक अंत में है।

8. 'एक्स' बनाम राजस्थान राज्य और एक अन्य आईएनएससी 909 2024 में रिपोर्ट किए गए के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एक बार मुकदमा शुरू हो जाने के बाद, इसे अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप या तो दोषी ठहराया जा सकता है या आरोपी बरी हो सकता है। आरोप तय होने के बाद आरोपी को सामान्य रूप से ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए। बयान में यहां या वहां की विसंगतियों को देखकर भी इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

9. चूंकि आवेदक के अधिवक्ता द्वारा कोई नया आधार नहीं लाया जा सका और मुकदमा अपने निर्णायक अंत में है, इसलिए मुझे यह ज़मानत के लिए उपयुक्त मामला नहीं लगता। मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने के लिए इच्छुक नहीं है।

10. तदनुसार, ज़मानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

11. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले पर **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम**



भारत संघ (2017) 5 एस.सी.सी. 702 के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसलों में निर्धारित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, यदि कोई कानूनी बाधा नहीं है, तो शीघ्रता से निर्णय लिया जाए।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां ज़मानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जनवरी 19, 2026

सिद्धांत

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)